देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ....1296..../भू अ० दिनांक : ....16/8/2024....

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–ढिवा, थाना–सारठ, थाना सं०–79, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **ढीवा मोड़ (रांगा सिरसा–ढीवा–कुकराहा–करौं–करमाटांड़ पथ पर) से करौं पथ (कुल लंबाई–9.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण/पुर्निनिर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–ढिवा, थाना–सारठ, थाना सं०–79, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.25 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	366	रैयती	धानी–3	0.01	गोखुल मंडल वो धोलो मंडल वो बेलो मंडल पे० स्व० जदु मंडल अंश समान सा० देह।	सड़क	मौजा अलकुला न० 82	अर्जित रकवा का अंश	अजित रकवा का अंश।
2	2	368	रैयती	धानी–3	0.025	पागो मंडल पे० महादेव मंडल वो शक्ति मंडल पे० स्व० भूपत मंडल वो नरेश मंडल पे० स्व० सरयु मंडल अंश समान सा० देह।				
3	2	375	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
4	2	367	रैयती	धानी–3	0.01	तुलसी मंडल पे० स्व० गोविन्द मंडल वो चोगु मंडल वो भीखो मंडल पे० स्व० वीरवल मंडल अंश समान सा० देह।				
5	2	372	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तुलसी मंडल पे० गोविन्द मंडल वो चीगु मंडल वो भीखो मंडल पे० वीरबल मंडल वो सुकर मंडल वो विनोद मंडल वो मितन मंडल पे० बोलाय मंडल वो गोखुल मंडल वो ढेलो मंडल वो वेलो मंडल पे० स्व० यदु मंडल अंश समान सा० देह।				
6	2	373	रैयती	बाड़ी–2	0.005	पनवा देवी पे० स्व० अमीन मंडल सा० देह।				
7	2	374	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
8	4	363	रैयती	मकान में सहन	0.015	गुंजन मंडल वो टिकू मंडल वो मौजी मंडल पे० स्व० हरि मंडल वो खुदु मंडल पे० स्व० महादेव मंडल वो रामदेव मंडल वो कामदेव मंडल पे० स्व० राजन मंडल अंश समान सा० देह।				
9	4	364	रैयती	बाड़ी–1	0.06	तथैव।				
10	4	360	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
11	4	359	रैयती	धानी–3	0.025	तथैव।				

12	5	365	रैयती	बाड़ी–1	0.02	गोपाल मंडल वो सुरेश मंडल पे० स्व० बैजनाथ मंडल वो नकुल मंडल वो गोखुल मंडल पे० स्व० जालो मंडल वो नियुती देवी पति स्व० कैलु मंडल वो भादु मंडल वो बुधन मंडल वो कामदेव मंडल वो सुकदेव मंडल वो पांचु मंडल पे० स्व० राजन मंडल अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.25**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉं हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदा० देवघर 28.7.21   अपर समाहर्त्ता देवघर

11/08/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1296 / भू अ0, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28.7.21   अपर समाहर्त्ता देवघर

11/08/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।